

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरुस्ती पार्शना" पत्र में राजस्थान गू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की अनुसरण में पटवार हल्का मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 10 KSD की जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या एवं जमाबन्दी सम्वत	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>मालारामपुरा</u>	<u>10 KSD</u> <u>83/20</u> <u>2070-73</u>	<u>विष्णु भगवान</u> <u>उर्फ विष्णु कुमार</u>	<u>विष्णु कुमार</u>

नोट :- शेष प्रविष्टि / यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन है तो यथावत रहेगा।

रमेश देव
(रमेश देव)

प्रखण्ड अधिकारी भियान 2023
संगरिया (SDO)
दिनांक :- 27/5/2023

क्रमांक :- सम / 204

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री विष्णु कुमार 90 रामपुराप शाहि विरतोई साठ
समपुरा (पजाव)
3. आदेश पत्रावली।



27/5/2023
प्रखण्ड अधिकारी भियान 2023
संगरिया (SDO)
शिविर स्थल गालारामपुरा